महत्वपूर्ण

संख्या–1386/77–4–14–12एन./07(एस.एच.ए.)

प्रेषक,

संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा,
गौतमबुद्धनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 08 सितम्बर, 2014

विषयः **दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर (डी0एम0आई0सी0) परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के स्टाम्प शुल्क के सम्बंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के अर्द्धशा0 पत्रांक–नियो0/आई0एफ0–134/2014/07 दिनांक 08.09.14 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कर एवं निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–सं.वि.क.नि. 5–4513/11–2007–500 (22)–2003, दिनांक 11.11.2007 के प्रस्तर (ख) के अनुसार दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड हेतु आवश्यक आदेश/प्रमाण–पत्र जारी करने का अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप की कुल लागत रू0 1715.00 करोड़ है, जो रू0 750.00 करोड़ से अधिक है। उक्त परियोजना लोकहित में है और परियोजना का वित्तीय रूप से जीवन्त बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई सुविधा, जिसमें शुल्क छूट भी सम्मिलित है, दिया जाना आवश्यक है। कर एवं निबंधन अनुभाग–5 की अधिसूचना दिनांक 17.11.2007 (जो दिनांक 13.02.2003 से प्रभावी है) के प्रस्तर–(ग) के अन्तर्गत दिये गये प्राविधानों से उक्त परियोजना आच्छादित है, जिसके अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड के लिए 747 एकड़ भूमि हस्तान्तरित की जा रही है, पर स्टाम्प–शुल्क के छूट प्रदान करने के संबंध में

निर्धारित प्रकिया का अनुसरण करने के पश्चात सक्षम स्तर से समुचित अनुमोदन दिनांक 22.08.14 को प्राप्त कर लिया गया है।

उक्त के दृष्टिगत कर एवं निबंधन विभाग की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 17.11.2007 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दिल्ली–मुम्बई इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के अन्तर्गत एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड को स्टाम्प शुल्क में छूट देय है।

भवदीय,

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।

**संख्या–1386 (1)/77–4–14तद्दिनांक**

प्रतिलिपि कर एवं निबंधन अनुभाग–5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(ए0पी0 तिवारी)
उप सचिव।